झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या......61........ वर्ष 20...23..

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री बिन्द प्रधानु एवं अन्य
ग्रा०- बमनगुटू, पो० - केरा
पं०- सिमीदीरी, प्र०- चक्रधरपुर
प० सिंहभूम

बनाम

प्रतिवादी DSO, पश्चिमी सिंहभूम ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–61 / 2023 परिवादी श्री बिन्द प्रधान एवं अन्य, ग्राम–बमनगुटू, पो0–केरा, पंचायत–सिमीदीरी, प्रखण्ड–चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादीगण द्वारा PDS डीलर श्री गौरीशंकर सिंहदेव, अनु0 सं0–47 / 91 के विरूद्ध प्रति माह 02 कि0ग्रा0 राशन की कटौती करने, One Nation One Ration card का लाभ नहीं मिलने एवं इसकी शिकायत उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के समक्ष करने के बाद भी माह जुलाई से अक्टूबर, 2023 तक 04 माह का राशन अप्राप्त रहने की शिकायत की गई है। साथ ही राशन डीलर द्वारा कार्ड सरेन्डर करा दिये जाने का भी आरोप लगाया गया है। प्राप्त अपील आवदेन पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–17.11.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश. . . docx143	